Extension of Service of officials in Doordarshan

6046. SHRI RAM PRASAD DESHMUKH : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2150 on the 29th June, 1977 regarding retirement of programme officers in AIR and Doordarshan and state:

(a) the name and designation of the official who is being considered for extension of service;

(b) the jusitfication for considering this particular officer for consideration; and

(c) the policy of Government with regard to the consideration of cases of such extension?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) Shri G.K. Mathur, Deputy Director General, Doordarshan.

(b) and (c). According to the orders on the subject, the criteria for the grant of extension of service are that it must be in public interest and in addition one of the following two conditions should be followed:—

(i) Other persons are not ripe enough to take over the job.

OR

(ii) The retiring officer is of outstanding merit.

The case of Shri G. K. Mathur is being considered on the basis of these criteria.

आगरा तथा मेरठ डिवीजनों में सीमेंट एजेंसियां

6047. **श्री रामप्रसाद देशमुख** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ और आगरा डिविजनों में भारतीय सीमेंट निगम द्वारा गत दो वर्षों के दौरान दी गई सीमेंट एजेंसियां ऐसे स्थानों पर हैं जो कि निगम के निदेशकों अथवा उनके निकट सम्बन्धियों के मूल स्थान हैं;

(ख) क्या एक बुलन्दशहर नगर में ही दो-दो एजेंसियों आवंटित की गई हैं जब कि बहुत से नगरों में तो एक भी एजेंसी नहीं हैं;

(ग) आम जनता को सीमेंट एजेंसी आवंटित करने संबंधी नियम क्या हैं और उसके लिए आवेदन पत्र देने की प्रक्रिया क्या है; और

(घ) आगरा तथा मेरठ डिवीजन में वे स्थान कौन से हैं जहां निकट भविष्य में सीमेंट एजेंसियां आवंटित करने का विचार है ताकि उस क्षेत्र में सीमेंट की कमी को दूर किया जा सके ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (घ) : अक्टूबर, 1975 से फरवरी, 1977 की अवधि में सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के वर्तमान स्टाकिस्ट अपना सामान्य कोटा तक नहीं उठा रहे थे । इसके परिणामस्वरूप कारपोरेशन के कारखानों के कार्यकारी क्यादेशों की स्थिति संकटपूर्ण हो गई थी । कारखानों का उत्पादन अधिकतम रखने की दृष्टि से कारपोरेशन ने नये स्टाकिस्ट नियुक्त करने का निश्चय किया और जिन आवेदकों ने रूचि दिखाई तथा निर्धारित आवश्यकतायें पूरी कीं और सीमेंट की सप्लाई के लिए जमानतें की तथा अग्रिम राशि जमा की, उन पर विचार किया गया । स्टाकिस्ट बनाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए गए । स्टाकिस्टों का चयन करने में कोई आवेदक किसी निदेशक के मूल स्थान का निवासी हैं अथवा उसका सम्बन्धी है यह कोई अर्हता अथवा अनर्हता नहीं थी, फिर भी इस दृष्टिकोण से की गई एक जांच से पता चलता है कि आगरा तथा मेरठ विभाग का एक स्टाकिस्ट अर्थात् मेसर्स अशोक ट्रेडर्स, काजिमाबाद जिला (अलीगढ़) कारपोरेशन के एक निदेशक के मूल निवास का रहने वाला था ।

सियाना, जिला बुलन्दशहर की दो पार्टियों ने कारपोरेशन को आवेदन पत्र देकर आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कीं। उस समय बाजार में सीमेंट के फालतू होने तथा कारखानों में क्रयादेशों की कमी को ध्यान में रखते हुए दोनों पार्टीयों को स्टाकिस्ट नियुक्त कर दिया गया था। सीमेंट कारपोरेशन को स्टाकिस्ट बनाने के लिए बुलन्दशहर जिले से और कोई भी आवेदन-पत्र नहीं मिला था।

इस समय आगरा तथा मेरठ डिवीजनों में सीमेंट स्टाकिस्ट नियुक्त करने के लिए सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के विचाराधीन कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा स्टाकिस्ट नियुक्त करने के लिए निम्नलिखित कसौटी रखी गई है :—

(i) सहकारी समितियों, भूतपूर्व रक्षा कर्मचारियों तथा बेरोजगार स्नातकों को प्राथमिकता दी जाती है ;

(ii) नीति के रूप में, ग्रामीण क्षेत्रों में कारपोरेशन छोटे स्टाकिस्टों को प्राथमिकता देती है ताकि सीमेंट भीतरी क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके।

(iii) ऊपर बताई गई श्रेणियों के अलावा स्टाकिस्ट नियुक्त करते समय जिन व्यक्तियों का सीमेंट के व्यापार तथा सम्बद्ध कारोबार जैसे; भवन निर्माण सामग्री बेचने का अनुभव है, उनके मामले पर यथोचित विचार किया जाता है।

(iv) स्टाकिस्ट नियुक्त करते समय किसी भी विशेष क्षेत्र में सीमेंट की खपत की संभावना पर भी विचार किया जाता है ; तथा

(v) प्रमुख रूप से स्टाकिस्टों की नियुक्ति 'क' 'ख' 'ग' 'घ' श्रेणियों में की जाती है जिनके मासिक कोटे क्रमश : 75, 50, 25 तथा 10 मीट्रिक टन होते हैं। उल्लिखित अंतिम श्रेणी की नियुक्ति उस स्थिति में की जाती है जो कारखाने के आसपास के क्षेत्र में होता है और जहां सीमेंट ट्रकों अथवा बैलगाड़ियों के जरिए भी भेजा जा सकता है।

Accidents in I.A.F.

6048. DR. VASANT KUMAR PANDIT : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to a letter appeared in 'Indian Express', on 9th June, 1977 titled 'Indian Airforce';

(b) if so, whether Government have inquired into the matter and steps taken thereafter;

(c) what is the accident rate in the Indian Air Force for the last five years;

(d) how many planes and lives were lost during each of the last five years; and

(e) whether it is a fact that the flight safety programme was started by the Government; if so, what are the results?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) Yes, Sir.

(b) to (e). It is not considered necessary to enquire into general allegations. Facts regarding flight safety and accident rates in the IAF have been looked into and it has been found that the accident rate per ten thousand hours of flying has considerably declined during the past five years, as would be seen below:—

Year	No. of accidents per ten thousand hours of flying
1972	20.7
1973	20.5
1974	13.6
1975	9.1
1976	5.5
1977 (upto 15th July)	4.4

The decline of accident rate would show that adequate steps to prevent loss of planes and lives are taken. Flight safety programme has been in existence and will continue to be implemented effectively.